भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

सं0:3/4/आई.डी/2015/एस0डी0आर–खण्ड–I   दिनांकः 5 जून, 2015

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचको का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधो को बनाया जा सकता है ; तथा

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके । निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो–पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंधित है कि जहॉ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र दिये जाते है, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है ; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढ़ंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता हैं, तथा दोनो को एक साथ प्रयोग करना होता है, तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र(ई0पी0आई0सी0) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है ; तथा

6. यतः, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडू राज्यों के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप–निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को 'प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची' बांटी जाएंगी :

8. अतः, अब, सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि **मेघालय में 59–चोकपोट(अ0ज0जा), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 136–अरुवीकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 13–प्रतापगढ़(अ0जा) एवं 46–सुरमा(अ0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्य प्रदेश में 227–गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडू में 11–डॉ0 राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचन, जो कि दिनांक 03.06.2015(बुधवार) को अधिसूचित किए गए है,** के सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचन जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :–

(i) पासपोर्ट,

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,

(iii) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र,

(iv) बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,

(v) पैन कार्ड,

(vi) आधार कार्ड,

(vii) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,

(viii) मनरेगा जॉब कार्ड,

(ix) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

(x) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

(xi) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची ।

(xii) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हैं, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जांएगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहॉं वह मतदान करने आया हैं उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए । यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल

होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)

सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashck Road, New Delhi-110 001

No. 3/4/ID/2015/SDR/Vol.I Dated: 5th June, 2015

To,

The Chief Electoral Officers of

1. Meghalaya
2. Kerala
3. Tripura
4. Madhya Pradesh
5. Tamil Nadu

Subject: - Bye-Elections to the State Legislative Assemblies, 2015 – Commission's order regarding identification of electors.

Sir,

I am directed to enclose herewith Commission's Order dated 5th June, 2015, regarding identification of electors at the current bye-elections to the State Legislative Assemblies of Meghalaya, Kerala, Tripura, Madhya Pradesh,Tamil Nadu and Maharashtra notified on **03-06-2015(Wednesday)** from **59-Chokpot(ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 136-Aruvikkara Assembly Constituency in Kerala,13-Pratapgarh(SC) & 46-Surma(SC) Assembly Constituencies in Tripura, 227-Garoth Assembly Constituency in Madhya Pradesh and 11-Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu.**

2. The Commission has directed that all electors who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the alternative photo identity documents mentioned in <u>paragraph 8</u> of the Order for establishing their identity.

3. As already directed in the Commission's letter No. 464/INST-VS/2014-EPS dated 21st March, 2014, Authenticated Photo Voter Slips shall be distributed to all electors before the poll day. On the day of poll one officer (BLO) will be on duty outside each polling station, during polling hours, with undistributed Photo Voter Slips, so that any elector who has not been issued Authenticated Photo Voter Slip, can collect their Authenticated Photo Voter Slip in original outside the polling stations. It shall be ensured that the officer with the undistributed photo voter slips sits at a facilitation desk set up at a conspicuous place outside the polling station. Banners/ Posters to convey this information in the local language should also be put at places which are easily visible. This order of the Commission should also be given wide publicity before the polls by all media channels.

4. In the case of EPIC, minor discrepancies in the entries therein should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Elector Photo